सं. I-21023/29/2007-आई पी एस-III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

***

नई दिल्ली,
दिनांक: 30 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के अधिकारियों के लिए कार्यकाल नीति।**

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 6 अप्रैल, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21023/21/1997-आई पी एस-III में यथा-अंतर्विष्ट नीतिगत अनुदेशों की समीक्षा की गई है। उपर्युक्त कार्यकाल नीति के अधिक्रमण में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित कार्यकाल नीति अधिसूचित की जाती है।

2. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यथा-उपबंधित भारतीय पुलिस सेवा, संघ एवं राज्यों, दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा है। विभिन्न पुलिस तथा केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों/विभागों में कुछ निश्चित पद विभिन्न राज्य संवर्गों को आबंटित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। आधारभूत सिद्धांत यह है कि इस प्रकार से नियुक्त कोई भी आई. पी. एस. अधिकारी एक निर्धारित कालावधि के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा और इसके बाद अपने मूल संवर्ग में वापस आ जाएगा। राज्य से केन्द्र में अधिकारियों का संचलन जहां एक तरफ राज्यों और भारत सरकार के लिए लाभकारी है वहीं दूसरी तरफ इससे संबंधित अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त होता है।

2.1 भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) में आई पी एस अधिकारियों की केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार अथवा किसी कंपनी एसोसिएशन अथवा वैयक्तिक निकाय, चाहे समाविष्ट हो या नहीं, जो संपूर्ण रूप से केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो, प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है।

2.2 किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जो सरकार द्वारा नियंत्रित न हो, अथवा किसी निजी निकाय के लिए प्रतिनियुक्ति, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(2) (ii) के अंतर्गत कवर होती है। इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति को समय-समय पर उपर्युक्त विषय पर जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाएगा।

2.3 भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्येक राज्य संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा की व्यवस्था होती है जिसके बदले में, केन्द्र सरकार के पदों पर सेवा करने हेतु प्रशिक्षित एवं अनुभव प्राप्त सदस्य मुहैया कराने के लिए इस सेवा में अतिरिक्त भर्ती की जाने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, विभिन्न राज्य संवर्गों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे का उपयोग, उस स्केल को शासित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है, जिस पर सेवा के विभिन्न राज्य संवर्गों से अधिकारियों को उधार पर लिया जाता है। तथापि, प्रतिनियुक्ति पर भा.पु.से. के किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार भरे गए किसी पद को मूल राज्य का संवर्ग पद नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार, भा. पु. से. का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य भारत सरकार के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्ति हेतु किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

3. <u>पात्रता</u>

केन्द्र सरकार में पुलिस अधीक्षक एवं इससे ऊपर के स्तर के पद धारण करने के लिए अधिकारियों की पात्रता निम्नानुसार है:

स्तर	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु पात्रता के लिए भा.पु.से. में न्यूनतम सेवा अवधि	अभ्युक्तियां
पुलिस अधीक्षक	7 वर्ष	तथापि, 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा वाले अधिकारी रॉ, आई बी तथा एन आई ए में नियुक्ति के पात्र होंगे।
उप महानिरीक्षक	14 वर्ष	केन्द्र में सूचीबद्ध (एम्पैनेल्ड) अधिकारी केन्द्र सरकार में पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे। तथापि, गैर-सूची बद्ध अधिकारियों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनातियों के लिए विचार किया जा सकता है।
स्तर	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भारतीय	अभ्युक्तियां

	पुलिस सेवा (आई पी एस) में सेवा की न्यूनतम अवधि	
		सलाहकार (सुरक्षा), निदेशक (सुरक्षा) आदि जैसे सुरक्षा संबंधी पदों को छोड़कर
महानिरीक्षक (आई जी)	18 वर्ष	केन्द्र में पैनल में शामिल किए गए अधिकारी केन्द्रीय सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तथापि, सलाहकार (सुरक्षा), निदेशक (सुरक्षा) आदि जैसे सुरक्षा संबंधी पदों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनाती के लिए ऐसे अधिकारियों पर भी विचार किया जा सकता है जो पैनल में शामिल नहीं हैं।
अपर महानिदेशक (ए डी जी)	26 वर्ष	केन्द्र में पैनल में शामिल किए गए अधिकारी केन्द्रीय सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
महानिदेशक (डी जी)	30 वर्ष	केन्द्र में पैनल में शामिल किए गए अधिकारी केन्द्रीय सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

4. <u>विभिन्न रैंकों में पैनल तैयार करना</u>

4.1 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में नियुक्ति के लिए उपयुक्त आई पी एस अधिकारियों का चयन, जो सामान्यतया इम्पैनलमेंट के रूप में जाना जाता है, समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार उप महानिरीक्षक (डी आई जी) और उससे ऊपर के स्तरों पर किया जाता है। पुलिस अधीक्षक के स्तर पर अधिकारियों का कोई पैनल तैयार नहीं किया जाता है।

4.2 उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक के स्तर पर अधिकारियों के इम्पैनलमेंट का मूल्यांकन गृह सचिव की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा); निदेशक, अन्वेषण ब्यूरो (आई बी); निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो; महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल एवं महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल होते हैं। गृह मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड की सिफारिशें उप महानिरीक्षक के बाबत गृह मंत्री तथा महानिरीक्षक के बाबत ए सी सी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है।

4.3 अपर महानिदेशक के स्तर पर अधिकारियों के इम्पैनलमेंट पर मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, सचिव (कार्मिक), निदेशक, अन्वेषण ब्यूरो (आई बी) और निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जाता है। समिति की सिफारिशों को ए सी सी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है।

4.4 महानिदेशक स्तर पर अधिकारियों के इम्पैनलमेंट पर मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, सचिव (कार्मिक) और निदेशक, अन्वेषण ब्यूरो से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जाता है। समिति की सिफारिशें ए सी सी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं।

4.5 उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक स्तर पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों के मामलों, जिनपर विचार किया जाता है किंतु किसी वर्ष विशेष में पैनल में शामिल नहीं किए जाते हैं, की 2 वर्षों की अवधि के बाद एक साथ समीक्षा की जाती है अर्थात जब कार्यनिष्पादन के संबंध में दो और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें संबंधित अधिकारी के सी आर डोजियर में शामिल कर ली गई हों। दूसरी ऐसी समीक्षा आगे दो वर्ष की अवधि के बाद की जाए। किसी ऐसे अधिकारी के मामले में एक विशेष समीक्षा की जाए जिनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के दर्ज करने के संबंध में उनके अभ्यावेदन को स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप उनकी सी आर में तथ्यात्मक रूप से परिवर्तन होता है।

4.6 अपर महानिदेशक एवं महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के मामलों की समीक्षा एक वर्ष की अवधि के बाद की जाएगी अर्थात जब संबंधित अधिकारी के सी आर डोजियर में कार्य निष्पादन संबंधी एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट शामिल कर ली गई हो। दूसरी ऐसी समीक्षा एक और वर्ष की अवधि के बाद की जाएगी। एक वर्ष के भीतर ए सी आर में परिवर्तित ग्रेडिंग के आधार पर कोई विशेष समीक्षा नहीं की जाएगी। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष में केवल एक बार की जाएगी।

4.7 ऐसे अधिकारियों, जो नियम 6(2) () के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर हैं, पर उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान और जब तक कि वे अपने संवर्ग में वापिस होने के बाद कम

से कम दो ए सी आर अर्जित नहीं कर लेते हैं तब तक पैनल में नामित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4.8 उप महानिरीक्षक/महानिरीक्षक स्तर पर पैनल में शामिल होने के लिए उस अधिकारी, जो दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विदेश विषयक कार्य के लिए तैनात है या था, पर विचार किया जाएगा यदि उसने इस कार्य से लौटने के पश्चात अपने संवर्ग में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो तथा उक्त के संबंध में दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें प्राप्त कर ली हों। इसी प्रकार से, अपर महानिदेशक/महानिदेशक के स्तर पर पैनल में शामिल होने के लिए उक्त अधिकारी पर तभी विचार किया जाएगा जब उसने अपने संवर्ग में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की सेवा की हो तथा एक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त की हो। तथापि, यदि कोई अधिकारी किसी संयुक्त राष्ट्र/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय अन्तरराष्ट्रीय संगठन में भारत सरकार के किसी कैप्टिव पद पर नियुक्त हो, उसे उक्त पद पर बने रहने के दौरान भी संबंधित बैच के साथ पैनल में शामिल करने के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

4.9 अगले कैलेंडर वर्ष के भीतर महानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक के पैनल में शामिल होने पर विचार किए जाने के लिए निर्धारित बैच को अवरुद्ध कर दिया जाएगा और इसके अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.10 पैनल में शामिल अधिकारियों के पैनल पर भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा किंतु पैनल में शामिल होने पर इन अधिकारियों को इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

5. <u>केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकार्य कार्यकाल</u>

5.1 केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर सामान्य प्रतिनियुक्ति कार्यकाल निम्नानुसार होगा :-

पुलिस अधीक्षक	:	4 वर्ष
उप महानिरीक्षक	:	5 वर्ष
महानिरीक्षक	:	5 वर्ष
अपर महानिदेशक	:	4 वर्ष

महानिदेशक : कोई नियत कार्यकाल नहीं

(i) कोई अधिकारी, जो पहले ही पुलिस अधीक्षक के रैंक में प्रतिनियुक्ति पर है, की उप महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति होने पर, पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रैंकों में 5 वर्ष का संयुक्त कार्यकाल होगा।

(ii) कोई अधिकारी, जो पहले ही उप महानिरीक्षक के रैंक में प्रतिनियुक्ति पर है, का 5 वर्ष का संयुक्त कार्यकाल होगा परन्तु उसके कार्यकाल को इस प्रकार बढ़ाया जाएगा कि उसे 7 वर्ष का अधिकतम कार्यकाल होने के अध्यधीन, महानिरीक्षक के रैंक में 3 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त हो।

(iii) कोई अधिकारी, जो पहले ही महानिरीक्षक के रैंक में प्रतिनियुक्ति पर है, का अपर महानिदेशक के रूप में पदोन्नति होने पर, महानिरीक्षक/अपर महानिदेशक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष के अध्यधीन अपर महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष का कार्यकाल होगा।

5.2 केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत अधिकारियों के सामान्य कार्यकाल को 7 वर्ष के अधिकतम कार्यकाल के अध्यधीन उस अधिकारी के मामले में दो वर्ष की अवधि द्वारा बढ़ाया जाएगा जिसने अनुलग्नक में यथा विनिर्दिष्ट ''कठिन क्षेत्र'' में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो। ''कठिन क्षेत्रों'' की सूची ए सी सी के अनुमोदन से मंत्रालय द्वारा संशोधित की जा सकती है।

5.3 महानिरीक्षक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों, जिनके निर्धारित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के अन्त में अधिवर्षिता के लिए एक वर्ष या उससे कम की अवधि बची हो, को उनके मूल संवर्गों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है और उनकी अधिवर्षिता तक उनके कार्यकाल में विस्तार दिया जा सकता है।

5.4 सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग और ''कठिन क्षेत्रों'' में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के पदों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि, केन्द्र में कार्यकाल की गणना किए जाने के उद्देश्य से इस शर्त के अध्यधीन आधी मानी जाएगी कि उक्त अधिकारी उन संगठनों/पदों में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा करें। यह केन्द्र में 7 वर्ष के अधिकतम कार्यकाल के अध्यधीन भी होगा।

5.5 केन्द्र में कार्यकाल की गणना करने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा विदेश में प्राप्त किए गए प्रशिक्षण की अवधि छोड़ी नहीं जाएगी। भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों के मामले में, प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि को (बशर्ते कि वह छह माह से अधिक हो), निनलिखित मामलों में केन्द्र में कार्यकाल की गणना के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जाएगा :-

i) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली में प्रशिक्षण।
ii) रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय, वेलिंग्टन में प्रशिक्षण।
iii) राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्रबंधन। विकास संस्थान, गुड़गांव में प्रशिक्षण।
iv) ए पी पी पी ए पाठ्यक्रम के लिए लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण (केवल केन्द्र में प्रथम कार्यकाल के दौरान)।
v) भारत में किसी भी आई आई एम में प्रशिक्षण।

तथापि, भारत में किसी भी आई आई एम में प्रशिक्षण के संबंध में, यदि आई ए एस अधिकारियों के संबंध में कोई अलग निर्णय लिया जाता है तो वह आई पी एस अधिकारियों पर भी लागू होगा।

5.6 वे अधिकारी, जिनका विदेश या विदेश सेवा में तैनाती से लौटने पर एक वर्ष से कम अवधि का कार्यकाल बचा हो, उन्हें उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

6. <u>आसूचना ब्यूरो में कार्यकाल का विनियमन</u>

6.1 प्रतिनियुक्ति के सामान्य कार्यकाल के अनुसार इस संगठन में एक अधिकारी सामान्यत: सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक के स्तर पर कार्य-भार ग्रहण करेंगे।

6.2 प्रतिनियुक्ति का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व 4 वर्ष की अवधि तक कार्यकाल का विस्तार किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव निदेशक, आसूचना ब्यूरो द्वारा सरकार के अनुमोदनार्थ तैयार किया जाए।

6.3 प्रथम विस्तार समाप्त होने पर, निदेशक, आसूचना ब्यूरो 4 वर्ष की अवधि तक के एक दूसरे विस्तार की सिफारिश कर सकता है, जिस पर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति,

जिसमें निदेशक, आसूचना ब्यूरो तथा विशेष सचिव (आई एस) सदस्य के रूप में शामिल होंगे, द्वारा विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशें सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

6.4 पैरा 6.2 के तहत कार्यकाल के प्रथम विस्तार के दौरान किसी भी समय अथवा जब कोई अधिकारी उप निदेशक (उप महानिरीक्षक) अथवा संयुक्त निदेशक (महानिरीक्षक) के रैंक में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाए तथा उसने आसूचना ब्यूरो में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो उसे 'हार्ड-कोर' में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है। अधिकारी की उपयुक्तता पर गौर करने तथा 'हार्ड-कोर' में शामिल होने के बारे में अधिकारी की इच्छा जानने के पश्चात, निदेशक, आसूचना ब्यूरो उस अधिकारी का नाम गृह सचिव, सचिव (कार्मिक) तथा निदेशक, आसूचना ब्यूरो को शामिल करके बनाई गई समिति के समक्ष रखेंगे। उक्त समिति की सिफारिशें ए सी सी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी। जिन अधिकारियों को 'हार्ड-कोर' में शामिल नहीं किया जाता है, उन्हें उनके अनुमोदित कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि 'हार्ड-कोर' ऑफिसर्स की नफरी आई पी एस अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक, दोनों रैंक के पदों के जोड़ के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि आसूचना ब्यूरो के 'हार्ड-कोर' ऑफिसरों और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के 'पर्मानेंटली सेकेंडेड' ऑफिसरों सहित अधिकारियों की संख्या एक संवर्ग के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सी डी आर) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6.5 'हार्ड-कोर' में शामिल किया गया अधिकारी आसूचना ब्यूरो में बना रहेगा और उसे उसके मूल राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी 'हार्ड-कोर' अधिकारी की व्यावसायिक उपयोगिता में उल्लेखनीय गिरावट देखी जाए और गंभीर प्रशासनिक कारणों से उसे राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाए। ऐसे मामलों की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें गृह सचिव, सचिव (कार्मिक) और निदेशक, आसूचना ब्यूरो शामिल होंगे और इसकी सिफारिशें अनुमोदनार्थ ए सी सी के समक्ष रखी जाएंगी।

6.6 आसूचना ब्यूरो के 'हार्ड-कोर' ऑफिसर को राज्यों में वास्तविक स्थितियों से अद्यतन रखने तथा राज्यों में विशेष शाखाओं/आसूचना विंगों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता के उद्देश्य से किसी 'हार्ड-कोर' ऑफिसर को, राज्य सरकार की सहमति से तीन वर्ष की अनधिक अवधि तक आसूचना अथवा सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए राज्यों (गृह राज्य से भिन्न) में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया समझा जाए। तथापि, महानिदेशक स्तर (विशेष निदेशक) के अधिकारियों को राज्यों में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.7 आसूचना ब्यूरो में विभिन्न रैंकों में पदोन्नतियां आसूचना ब्यूरो में कार्यरत पैनल में शामिल सभी अधिकारियों (संबंधित रैंको में) के वरिष्ठता क्रम में की जाएंगी। अधिकारियों के पैनल में शामिल किए जाने के अध्यधीन आसूचना ब्यूरो में किसी हार्ड-कोर ऑफिसर को संगठन में उसकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसके द्वारा धारित पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके उसे स्व–स्थाने पदोन्नति दी जाएगी। जब कभी उच्चतर पद पर नियमित रिक्ति होगी तो उसे उच्चतर पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

6.8 कोई हार्ड-कोर अधिकारी अपने राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन मांग सकता है, यदि वह केन्द्र में अपर महानिदेशक/महानिदेशक के पद के लिए पैनल में शामिल नहीं है।

6.9 किसी हार्ड-कोर अधिकारी को उसके राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन की अनुमति दी जा सकती है, यदि उनको उनके गृह राज्य में महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया जा रहा है।

6.10 आसूचना ब्यूरो के हार्ड-कोर अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सुरक्षा तथा आसूचना संबंधित कार्यों के लिए नियुक्ति हेतु विचाराधीन रखना जारी रखा जाएगा।

6.11 यदि कोई अधिकारी कोई अन्य सुरक्षा तथा आसूचना संबंधी कार्य ग्रहण करने हेतु आसूचना ब्यूरो से बाहर जाता है तो उनके द्वारा ऐसे कार्यभार में व्यतीत अवधि को ''हार्ड-कोर'' में प्रविष्टि अथवा विस्तार के लिए गणना करते समय प्रतिनियुक्ति अवधि के रूप में माना जाएगा।

7. <u>अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में कार्यकाल का विनियमन</u>

7.1 आई पी एस अधिकारी संगठन में प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि के अनुसार कार्य ग्रहण करेंगे।

7.2 प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि की समाप्ति से पूर्व 4 वर्ष तक कार्य अवधि के विस्तार का प्रस्ताव सचिव (आर) द्वारा सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

7.3 विस्तार की समाप्ति के एक वर्ष पूर्व अधिकारी को ''परमानेंट सेकण्डमेंट'' आधार पर प्रविष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, सचिव (कार्मिक), निदेशक आसूचना ब्यूरो तथा सचिव (आर) वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों को ए सी सी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जो ''परमानेंट सेकेंडमेंट'' में प्रविष्ट नहीं किए जाएंगे, उनको विस्तारित कार्य अवधि की समाप्ति पर उनके मूल संवर्ग/राज्य में वापस भेज दिया जाएगा।

बशर्ते कि स्थायी रूप से स्थानांतरित अधिकारियों की नफरी, प्रतिनियुक्ति कोटा में अवर सचिव, उप सचिव तथा निदेशक रैंक के पदों के 50 प्रतिशत से अधिक न होगी।

बशर्ते यह भी कि अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' अधिकारियों तथा आई.बी. के 'हार्ड-कोर' अधिकारियों सहित अधिकारियों की संख्या किसी संवर्ग के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सी डी आर) के 50% से अधिक न होगी।

7.4 स्थायी स्थानांतरण आधार पर अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में एक बार प्रतिष्ठित कोई भी अधिकारी उस संगठन में लगातार कार्य करेगा तथा उसे उसके मूल राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे अवसर हो सकते हैं जब स्थायी रूप से स्थानांतरित अधिकारी की पेशेवर उपयोगिता में स्पष्ट रूप से कमी आ जाए अथवा अत्यावश्यक प्रशासनिक कारणों के चलते उसे उसके राज्य में प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाए। ऐसे मामलों की एक समिति, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, सचिव (कार्मिक), निदेशक, आई बी तथा सचिव (आर) शामिल होंगे, द्वारा जांच की जाएगी तथा इसकी सिफारिशों को अनुमोदनार्थ ए सी सी को भेजा जाएगा।

7.5 कोई भी स्थायी रूप से स्थानांतरित अधिकारी अपने राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन की मांग कर सकता है यदि, उसका नाम अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में संयुक्त सचिव, अपर सचिव/विशेष सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए सुनिश्चित न किया गया हो।

7.6 किसी भी स्थायी रूप से स्थानांतरित अधिकारी को उसके राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि उसे महानिदेशक के स्तर पर प्रोन्नति दी जा रही है।

7.7 अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के स्थायी स्थानांतरित अधिकारियों की केन्द्र सरकार के अंतर्गत सुरक्षा एवं आसूचना से संबद्ध पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

7.8 यदि कोई अधिकारी किसी अन्य सुरक्षा एवं आसूचना से जुड़े पद को स्वीकार करने के लिए अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) से बाहर जाता है, तो उसके द्वारा ऐसी नियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि की, विस्तार देने अथवा स्थायी स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि के रूप में गणना की जाएगी।

8. <u>राष्ट्रीय जांच एजेंसी में कार्यकाल का विनियमन</u>

8.1 प्रतिनियुक्ति के सामान्य कार्यकाल के अनुसार इस संगठन में अधिकारी सामान्यत: पुलिस अधीक्षक अथवा उप महानिरीक्षक के स्तर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

8.2 राष्ट्रीय जांच एजेंसी में प्रतिनियुक्त किए गए ऐसे आई पी एस अधिकारियों, जिनमें इस संगठन में कार्य करने के लिए विशेष अभिरुचि दिखाई दे तथा जिनको इस संगठन में बनाए रखना जन हित में समझा जाए, उनको 7 वर्ष के अधिकतम कार्यकाल के अध्यधीन, सामान्य कार्यकाल के अतिरिक्त तीन वर्ष के और कार्यकाल की अनुमति दी जा सकती है।

8.3 राष्ट्रीय जांच एजेंसी में नियुक्त अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्तावों पर गृह सचिव, विशेष सचिव (आई एस) तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शामिल करके बनाई गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा। गृह मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव उक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। समिति की सिफारिशें ए सी सी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

9. <u>केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यकाल का विनियमन</u>

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त किए गए ऐसे आई पी एस अधिकारियों, जिनमें इस संगठन में कार्य करने के लिए विशेष अभिरुचि दिखाई दे तथा जिनको इस संगठन में बनाए रखना जन हित में समझा जाए, उनको 7 वर्ष के अधिकतम कार्यकाल के अतिरिक्त 3 वर्ष तक के और कार्यकाल की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को विस्तार प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्तावों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में नियुक्तियां करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा।

10. <u>केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षतियों का उपयोग</u>

जहां नियम 6(1) तथा नियम 6(2)() को मिलाकर दोनों के तहत राज्य संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों की संख्या उस संवर्ग के मुहैया कराए गए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (सी डी आर) कम पड़ जाती है, तो केन्द्र सरकार उस राज्य संवर्ग की सरकार से यह अपेक्षा करती है कि वह केन्द्र सरकार की मांगी के अनुसार प्रतिनियुक्ति हेतु कुछ अधिकारी मुहया करवाए।

11. <u>पार्श्विक स्थानांतरण</u>

11.1 गृह मंत्रालय के अधीन सी पी ओ से अन्य किसी सी पी ओ में किसी अधिकारी के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पार्श्विक स्थानांतरण की, ऐसे मामले जहां अधिकारी को केन्द्र में उच्च स्तर के पदों की प्राप्ति के लिए पैनलबद्ध किए जाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है, तथा उस सी पी ओ, जहां वह कार्यरत है, में ऐसा कोई पद रिक्त न हो, को छोड़कर, सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पार्श्विक स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.2 यदि किसी अधिकारी, जिसका केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर होते हुए संयुक्त राष्ट्र/विदेश में कार्य के लिए चयन तथा नियुक्ति हो जाती है, तो ऐसे अधिकारी को ऐसे कार्य से वापिस आने पर उसके अनुमोदित कार्यकाल की शेष अवधि के लिए केन्द्र में ही (यदि आवश्यक हो तो, पार्श्विक शिफ्ट सहित) समायोजित कर लिया जाएगा। तथापि, यदि शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम अवधि का है तो अधिकारी को उसके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

11.3 एन ई पी ए तथा एस वी पी एन पी ए में तीन वर्षों के न्यूनतम कार्यकाल तक सेवा करने के पश्चात् एक अधिकारी अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के शेष कार्यकाल के लिए केन्द्रीय पुलिस बल/संगठन में पार्श्विक शिफ्ट का विकल्प चुन सकता है।

11.4 कोई अधिकारी सी पी ओ में अपने कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व, उसी सी पी ओ में न्यूनतम 3 वर्ष के कार्यकाल के अध्यधीन, सी वी ओ/सी एस एस नियुक्तियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सेन्टर्ल स्टॉफिंग स्कीम के तहत पदों अथवा सी पी एस यू में सी वी ओ के पद पर तैनाती के लिए अनुरोध कर सकता है।

12. ''कूलिंग ऑफ'' अवधि

12.1 एक बार राज्य कॉडर में प्रत्यावर्तित हो जाने पर, किसी भी अधिकारी को केन्द्र में दूसरी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने से पूर्व उसके लिए उसके मूल कॉडर में 3 वर्ष की अवधि (जिसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है) के लिए सेवा करना अपेक्षित होगा। यदि वे अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर नामत: असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैण्ड और सिक्किम से संबंधित है तो उसकी ''कूलिंग ऑफ'' अवधि 2 वर्ष होगी।

12.2 अपर महानिदेशक के स्तर पर नियुक्तियों के लिए, ''कूलिंग आफ'' की अवधि एक वर्ष होगी। महानिदेशक के स्तर वाले पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

12.3 अन्य कॉडरों से आए ऐसे अधिकारी जिन्होंने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को अवधि पूरा करने के पश्चात पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में सेवा दी है, के लिए ''कूलिंग आफ'' अवधि दो वर्ष होगी। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में ऐसे अधिकारियों द्वारा दी गई सेवाएं ''कूलिंग आफ'' के लिए गिनी जाएंगी।

12.4 केन्द्र में प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात अधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार से ली गई छुट्टी की अवधि को ''कूलिंग आफ'' अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा। ''कूलिंग आफ'' अवधि उस तारीख से प्रारम्भ होगी जब अधिकारी अपने राज्य कॉडर में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता/करती है।

13. प्रत्यावर्तन

13.1 प्रत्येक अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा करने की तारीख से ही अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर अपने राज्य कॉडर में प्रत्यावर्तित हो जाएगा। तथापि, वह बच्चों की शिक्षा इत्यादि जैसे व्यक्तिगत आधारों पर अपना कार्याल पूरा करने की तारीख से पहले 31 मई तक अपने कॉडर में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प ले सकेगा।

13.2 अनुमोदित अवधि के पूरा होने पर अधिकारी को कार्यमुक्त करने के लिए संगठन का प्रमुख, उत्तरदायी है। किसी भी अधिकारी को अनुमोदित कार्यकाल के पश्चात संगठन में नहीं रोका जाएगा। कार्यकाल बढ़ाने के लिए किए गए अनुरोध के मामले में भी वह अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जाएगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित तारीख तक अनुमोदन नहीं दिया जाता है। तथापि, सी बी आई में नियुक्त किए गए अधिकारी को सी बी सी अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त किया जाएगा।

14. <u>समयपूर्व प्रत्यावर्तन</u>

14.1 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी यदि संबंधित राज्य संवर्ग में उच्च रैंक में पदोन्नति के लिए उनकी बारी आ गई है तो वे अपने राज्य संवर्गों में वापिस जाने का विकल्प चुन सकते हैं। संबंधित अधिकारी से राज्य संवर्ग में पदोन्नति का विकल्प चुन लिए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के दो माह के भीतर ऐसे अधिकारियों को उनके संबंधित राज्य संवर्गों में वापिस जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।

14.2 ऐसे मामले, जहां एक अधिकारी व्यक्तिगत कारणों अथवा/जब राज्य सरकार को उनकी सेवा की आवश्यकता हो; अपने संवर्ग में समय से पूर्व प्रत्यावर्तित होने की इच्छा व्यक्त करता है, तब ऐसे मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा तथा निर्णय लिया जाएगा और यदि समय से पूर्व प्रत्यावर्तन को अनुमोदित कर दिया जाता है तो ''कूलिंग ऑफ'' अवधि की गणना वास्तविक प्रत्यावर्तन की तिथि से न करके उस तिथि से न करके उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को अधिकारी ने अपना सामान्य प्रतिनियुक्त कार्यकाल पूरा किया हो।

14.3 यदि किसी अधिकारी को सीधे ही रिक्त पद संबंधी परिपत्रों/विज्ञापनों के आधार पर गृह मंत्रालय अथवा सी पी ओ के अलावा अन्य किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तथा बाद में उसे किसी भी कारण से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उस मंत्रालय/विभाग/संगठन, जहां उसे तैनात किया गया था, से समय से पूर्व ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो वह अधिकारी अपने राज्य संवर्ग में रिपोर्ट करेगा/करेगी। यदि किसी अधिकारी को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है तो उसका मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होगा।

15. <u>अनिवार्य प्रतीक्षा</u>

15.1 जब किसी अधिकारी को प्रशिक्षण से लौटने, अथवा पद समाप्त कर दिए जाने, इत्यादि के कारण अपने पूर्व तैनाती पद से इतर किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह अधिकारी उस संगठन की नफरी में ही बना रहेगा/रहेगी जिसमें वह पहले तैनात था/थी तथा जब तक वह अधिकारी नए पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता/लेती तब तक उसके वेतन एवं भत्तों की अदायगी उसी संगठन द्वारा की जाएगी। अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के दौरान किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए ऐसे अधिकारी की सेवाओं का गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय के अनुमोदन से संबंधित संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

15.2 गृह मंत्रालय द्वारा तैनाती के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के नाम उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सी पी एम एफ/सी पी ओ के बीच परिचालित किए जाएंगे तथा यदि तीन माह की अवधि के भीतर किसी पद पर किसी भी अधिकारी का चयन नहीं हो पाता है तो गृह मंत्रालय द्वारा किसी संगठन विशेष में अनिवार्य आधार पर उस अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी।

16. <u>मूल/राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन</u>

16.1 पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथावर्णित प्रतिनियुक्ति की अवधि किसी भी अधिकारी को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करती। केन्द्र सरकार बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी अधिकारी को उसके राज्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने का अधिकार रखती है।

16.2 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तित अधिकारियों को संबंधित संगठन/विभाग द्वारा अधिकतम दो माह का अवकाश प्रदान किया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के अवकाश के लिए अधिकारी को अपने राज्य संवर्ग को आवेदन देना पड़ेगा।

17. <u>विवर्जन</u>

केन्द्र सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित अधिकारी यदि अपने कार्य को करने में असफल हो जाता है/जाती है तो उसे 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति तथा विदेशों में सौंपे गए कार्य कंसलटेंसी (परामर्श) से विवर्जित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार विवर्जन के लिए उत्तरदायी करार न देते हुए भी किसी भी अधिकारी को ऑफर लिस्ट से हटा सकती है बशर्ते कि उस अधिकारी को प्लेसमेंट के लिए अनुमोदित न किया गया

हो; यदि अनुमोदन के पश्चात नाम वापिस लिए जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी विवर्जित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि कोई अधिकारी केन्द्रीय स्टॉफिंग योजना के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है तो उसका मामला इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।

18. अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्तियां एवं स्थानांतरण

इस संबंध में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्तियां एवं स्थानांतरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विनियंत्रित होंगे।

19. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अधिकारियों को रियायत

उत्तर पूर्व संवर्ग से संबंधित अधिकारी जैसे कि असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा तथा सिक्किम संवर्गों के अधिकारी इन अधिकारियों को मिलने वाली रियायत के लिए इस विषय पर समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुसार पात्र बने रहेंगे।

20. रियायत का अधिकार

उपमहानिरीक्षक के स्तर तक के मामलों पर नीति में किसी प्रकार की रियायत अथवा पथांतरण गृह मंत्री द्वारा प्रदान की जा सकती है। महानिरीक्षक और इससे नीचे के अधिकारियों के लिए ए सी सी की संस्वीकृति की आवश्यकता होगी।

21. शेष मामले

इन अनुदेशों की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह अथवा विवाद गृह मंत्रालय को निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा। ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

22. बचत

कोई भी मामला जो इस नीति के अंतर्गत नहीं आता उसे समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों/दिशानिर्देशों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।

ह./-
(दिलीप कुमार कोटिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
2. ई ओ एवं ए एस कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली को उनके दिनांक 18.03.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/41/2009-ई ओ (एस एम-I) के संबंध में।
3. सभी केन्द्रीय पुलिस अधिकारियों/केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री एम.एन. प्रसाद, सचिव) साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री एम. सारंगी, अपर सचिव)
3. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री बी. के. डे, सचिव)
4. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री के. सी. वर्मा, सचिव)
5. गृह मंत्री के निजी सचिव/गृह सचिव के निजी सचिव।
6. एस ओ (आई टी) गृह मंत्रालय – कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर रखने के लिए।
7. गार्ड फाइल।